

राजस्थान विधान सभा

षष्ठम् सत्र

कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2011

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचनायें

I- श्री शांति कुमार धारीवाल, गृह मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या: प.2(56)वित्त/कर/2010-123 दिनांक 24.2.2011 जिसके द्वारा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अपनी ऑथोराइज्ड शेयर केपिटल 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1600 करोड़ रुपये करने पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन में संशोधन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी का परिहार किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: प.2(107)वित्त/कर/2010-124 दिनांक 24.2.2011 जिसके द्वारा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अपनी ऑथोराइज्ड शेयर केपिटल 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1600 करोड़ रुपये करने पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन में संशोधन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी का परिहार किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: प.2(37)वित्त/कर/2010-125 दिनांक 8.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के तहत लीज डीड पंजीयन पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है;
4. अधिसूचना संख्या: प.2(11)वित्त/कर/03-126 दिनांक 8.3.2011 जिसके द्वारा स्टाम्प ड्यूटी वसूली के संबंध में विशेष राहत योजना लागू की गई है;
5. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-127 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(63)वित्त/कर/2005-157 दिनांक 31.3.2006 को अतिष्ठित किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-128 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;
7. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-129 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;
8. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-130 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;

9. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-131 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-III में संशोधन किया गया है;
10. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-132 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची- IV में संशोधन किया गया है;
11. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-133 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची- VI में संशोधन किया गया है;
12. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-134 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान में सीआईएसएफ कैंटीनों को उनके द्वारा किये गये माल के विक्रयों पर संदेय कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;
13. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-135 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान में सीआईएसएफ कैंटीनों को उनके द्वारा किये गये माल के विक्रय को उस सीमा तक, जिस तक ऐसे माल के संबंध में कर की दर 3 प्रतिशत से अधिक हो, सशर्त छूट प्रदान की गई है;
14. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-136 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान में सीआरपीएफ कैंटीनों को उनके द्वारा किये गये माल के विक्रयों पर संदेय कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;
15. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-137 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान में सीआरपीएफ कैंटीनों को किसी माल के विक्रय को उस सीमा तक, जिस तक ऐसे माल के संबंध में कर की दर 3 प्रतिशत से अधिक हो, सशर्त छूट प्रदान की गई है;
16. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-138 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा पशु आहार के निर्माता द्वारा मोलासिस के क्रय को कर से, उस सीमा तक, जिस तक ऐसे माल के संबंध में कर की दर 5 प्रतिशत से अधिक हो, सशर्त छूट प्रदान की गई है;
17. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-139 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा रेस्टोरेन्ट एवं होटल से भिन्न किसी स्थान पर किसी भी अवसर के प्रयोजन के लिये पकाये गये भोजन एवं खाद्य सामग्री के विक्रय पर आउटडोर केटरर द्वारा संदेय कर को उस सीमा तक, जिस तक कर की दर 5 प्रतिशत से अधिक हो, छूट प्रदान की गई है;
18. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-140 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(86)वित्त/कर/09-76 दिनांक 27.1.2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
19. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-141 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:प.12(84)वित्त/कर/2009-20 दिनांक 8.7.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

20. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-142 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा संकर्म संविदा के निष्पादन में लगे हुए व्यवहारियों को 1.4.2011 से अधिसूचित किया गया है;
21. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-143 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:प.12(41)वित्त/कर/2006-48 दिनांक 22.8.2008 को इसके द्वारा दिनांक 1.4.2011 से विखण्डित किया गया है;
22. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-144 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:प.12(63)वित्त/कर/2005-172 दिनांक 31.3.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
23. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-145 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;
24. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-146 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:प.12(44)वित्त/कर/07-09 दिनांक 17.4.2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
25. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-147 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;
26. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-148 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटरयानों के प्रवेश कर नियम, 1992 में संशोधन किया गया है;
27. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-149 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा मनोरंजन के कतिपय प्रवर्गों द्वारा देय प्रभार्य मनोरंजन कर का परिहार किया गया है;
28. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-150 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:प.12(14)वित्त/कर/2006-137 दिनांक 8.3.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अतिष्ठित किया गया है;
29. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-151 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:प.12(63)वित्त/कर/2005-160 दिनांक 31.3.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अतिष्ठित किया गया है;
30. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-152 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अवसंरचना सुविधाओं के विकास के प्रयोजनों के लिये और नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का वित्त पोषण करने हेतु अधिसूचना में उल्लेखित प्रयोजनों के लिये राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के साथ पठित धारा-3 के अधीन संदेय स्टाम्प शुल्क पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया गया है;

31. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-153 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या-14) की धारा-9 की उपधारा-1 के अन्तर्गत अनुसूची के अनुच्छेद-14 के अधीन बंधपत्र की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को 2 प्रतिशत तक घटाया गया है;
32. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-154 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:प.12(28)वित्त/कर/2007-158 दिनांक 9.3.2007 को अतिष्ठित किया गया है;
33. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-155 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा-48 के उपबन्धों के अनुसार निष्पादित कृषि भूमि के विनिमय की लिखत और पैतृक कृषि भूमि के विभाजन की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का परिहार किया गया है;
34. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-156 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;
35. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-157 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा संस्थागत प्रयोजन या औद्योगिक प्रयोजन (पर्यटन इकाई के लिये भूमि को सम्मिलित करते हुए) के लिये भूमि से संबंधित हस्तान्तरण की लिखत पर, जिसके लिये जिला स्तरीय समिति द्वारा दरों की सिफारिश नहीं की गई है, स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया है;
36. अधिसूचना संख्या: प.12(25)वित्त/कर/11-158 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई भूमि की बाजार दरों या, यथा स्थिति महानिरीक्षक, स्टाम्प द्वारा अनुमोदित दरों को पुनः अवधारित किया जाकर और इन्हें समस्त क्षेत्रों में स्थित भूमि के 15 प्रतिशत तक तुरन्त प्रभाव से बढ़ाया गया है;
37. अधिसूचना संख्या: प.6(179)परि/कर/एचक्यू/09/पार्ट-II-1 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत कृषि ट्रैक्टर और कम्बाईन हारवेस्टर यानों को संदेय कर के संदाय से छूट प्रदान की गई है;
38. अधिसूचना संख्या: प.6(179)परि/कर/एचक्यू/09/पार्ट-II-2 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अनन्य रूप से चलाये जाने वाले नये मंजिली यात्री वाहनों को, उनके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के लिये उक्त अधिनियम की धारा-4-ख के अधीन संदेय विशेष सड़क कर के संदाय से छूट प्रदान की गई है;

39. अधिसूचना संख्या: प.6(179)परि/कर/एचक्यू/09/पार्ट-II-3 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्या-11) की धारा-4-ड. के साथ पठित धारा-3 की उपधारा-1 के अन्तर्गत ऐसे यानों जिनकी लागत 3.00 लाख रूपये से अधिक न हो, को संदेय अधिभार के संदाय से छूट प्रदान की गई है;
40. अधिसूचना संख्या:प.6(179)परि/कर/एचक्यू/09/24-बी दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.6(252)परि/कर/एचक्यू/07/24-ए-99 दिनांक 25.2.2008 को अतिष्ठित किया गया है; एवं
41. अधिसूचना संख्या: प.6(179)परि/कर/एचक्यू/09/26 दिनांक 9.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्या-11) की धारा-4-ड. के अन्तर्गत कतिपय वाहनों को संदेय कर पर अधिभार की दर निर्धारित की गई है।

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(1) श्रीमती जकिया, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी :-

- 1- राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 28वां प्रतिवेदन;
- 2- राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 29वां प्रतिवेदन;
- 3- राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 30वां प्रतिवेदन;
- 4- राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2008-2009) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 31वां प्रतिवेदन;
- 5- राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2000-2001) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 32वां प्रतिवेदन;
- 6- राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2001-2002) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 33वां प्रतिवेदन;

- 7- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2002-2003) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 34वां प्रतिवेदन;
- 8- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2003-2004) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 35वां प्रतिवेदन;
- 9- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 36वां प्रतिवेदन;
- 10- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 37वां प्रतिवेदन;
- 11- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 38वां प्रतिवेदन;
- 12- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2007-2008) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 39वां प्रतिवेदन;
- 13- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 40वां प्रतिवेदन;
- 14- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 41वां प्रतिवेदन;
- 15- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2001-2002) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 42वां प्रतिवेदन;
- 16- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 43वां प्रतिवेदन ;
- 17- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 44वां प्रतिवेदन;
- 18- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 45वां प्रतिवेदन;
- 19- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 46वां प्रतिवेदन;

- 20- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2006-2007) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 47वां प्रतिवेदन;
- 21- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2003-2004) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 48वां प्रतिवेदन;
- 22- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 49वां प्रतिवेदन;
- 23- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 50वां प्रतिवेदन;
- 24- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2007-2008) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 51वां प्रतिवेदन;
- 25- राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2000-2001) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 52वां प्रतिवेदन;
- 26- ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2001-2002) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 53वां प्रतिवेदन;
- 27- राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 1993-1994) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2007-2008 के 68वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 54वां प्रतिवेदन;
- 28- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2000-2001) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2008-2009 के 85वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 55वां प्रतिवेदन;
- 29- राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2003-2004) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 56वां प्रतिवेदन;
- 30- राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 के द्वितीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 57वां प्रतिवेदन;

- 31- राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 के तृतीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 58वां प्रतिवेदन;
- 32- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 2003-2004) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 के चतुर्थ प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 59वां प्रतिवेदन;
- 33- राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 1997-1998) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 के पाँचवे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 60वां प्रतिवेदन; एवं
- 34- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा0) वर्ष 1998-1999) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2009-2010 के छठे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का 61वां प्रतिवेदन;

(2) श्री अलाउद्दीन आजाद, सभापति, प्राक्कलन समिति 'ख', 2010-2011 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- गृह (नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख', 2009-2010 के 7वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति 'ख', 2010-2011 का 14वां प्रतिवेदन;
- 2- गृह (पुलिस) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख', 2009-2010 के 10वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति 'ख', 2010-2011 का 15वां प्रतिवेदन; एवं
- 3- गृह (अभियोजन) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख', 2009-2010 के नवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति 'ख', 2010-2011 का 16वां प्रतिवेदन।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

1- श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

- I- पुस्तकालयाध्यक्ष, द्वितीय श्रृंखला को चयनित वेतनमान दिये जाने के संबंध में;
- II- उदयपुर की वाटिकाओं के आस-पास रहने वाले लोगों की परेशानियों के संबंध में; एवं
- III - उदयपुर की झीलों से जलकुभी निकलवाने के संबंध में ।

- 2- श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-
- I- पंचायत समिति बालेसर व शेरगढ़ से प्राप्त व जिले की अन्य पंचायत समितियों से प्राप्त प्रस्तावों को जिला परिषद, जोधपुर में अनुमोदन अनुसार 500 जनसंख्या की समूह (कलस्टर) ढाणियों (हैबीटेशन) के प्रस्तावों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ने के संबंध में; एवं
- II- विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कृषि विस्तार के अधीन सहायक कृषि अधिकारी, चामू एवं कृषि पर्यवेक्षक के नवीन अथवा पुनर्गठन कर पदस्थापन के संबंध में ।
- III - धार्मिक/पर्यटन स्थलों को सड़क से जोड़ने बाबत् ।
- 3- श्री हरिसिंह रावत, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-
- I- विधान सभा क्षेत्र भीम के राजकीय महाविद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोलने एवं राजकीय महाविद्यालय में अतिक्रमण रोकने व गरीब छात्राओं हेतु आवासीय छात्रावास के संबंध में; एवं
- II- विधान सभा क्षेत्र भीम के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम एवं देवगढ़ में कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पड़े पद एवं अन्य सुविधाओं के संबंध।
- 4- डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-
- I- खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र की तहसील छतरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में; एवं
- II- विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की तहसील छतरगढ़ में सहायक अभियन्ता (विद्युत) कार्यालय खोलने के संबंध में ।

5. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-2012

प्रथम अवस्था

सामान्य वाद-विवाद

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-2012 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा।

एच.आर.कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 10 मार्च, 2011